न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी:— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 23/2020

वादी :—	बनाम	प्रतिवादीगण :—
1. दोलाराम पुत्र नारायणलाल जाति जाट निवासी— रेपड़ावास तह0 सोजत जिला पाली।		1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956

उपस्थितिः—

1. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत प्रतिवादी स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 28/09/22

अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम रेपड़वास पटवार हल्का रेपड़वास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चाड़वास तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में वर्तमान नए खाता संख्या 138 के खसरा नंबर 549 रकबा 0.8400 हैक्टर व खसरा नंबर 550 रकबा 0.0200 हैक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.8600 हैक्टर की भूमिवादी व वादी के भाई पुकाराम, पेमाराम एवं डूंगरराम की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि आई हुई स्थित हे। उपरोक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि में वादी का भी माफिक रेकार्ड अनुसार हक हिस्सा निहित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि में वादी बतौर खातेदार काश्तकार है तथा उपरोक्त आराजीयात की कृषि भूमि में वादी को विरासत में प्राप्त भूमि है, जिस भूमि पर वादी का माफिक हक हिस्सा अनुसार वादी उपयोग उपभोग लगातार बिना किसी बाधा अड़चन के चला आ रहा है तथा आज भी मौके पर काबिज काश्त है। उपरोक्त आराजियात की कृषि भूमि में सैटलमेन्ट पूर्व वादी का नाम राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना वादी के सही एवं वास्तविक नाम के दस्तावेज का अवलोकन किए व सद्भाविक भूलवश वादी के दस्तावेजी व सही वास्तविक नाम दर्ज नही कर बचपन व घर के लाड प्यार का नाम रेखाराम दर्ज कर दिया गया। वाद पत्र में वर्णित आराजियात में वक्त इन्द्राज वादी नाबालिग होने व वादी के पिता अनपढ़ एवं निरक्षर होने से वादी के वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम इन्द्राज न होकर रेखाराम इन्द्राज किया। वादी का वास्तविक दस्तावेजी नाम दोलाराम है वादी को घर परिवार समाज में बचपन में रेखाराम के नाम से ही पुकारते थे। इसलिए राजस्व कर्मचारियों के द्वारा सैटलमेन्ट पूर्व राजस्व रेकार्ड में वक्त इन्द्राज रेखाराम दर्ज करने में भूल की है। वादी का सही एवं वास्तविक दस्तावेजी नाम दोलाराम ही है। वादी को गांव परिवार समाज में दोलाराम के नाम सही जाना व पहिचाना जाता है। वादी के स्वयं मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार कार्ड, बैंक खाता डायरी एवं अन्य दस्तावेजात में भी वादी का नाम दोलाराम ही दर्ज है तथा उक्त वाद पत्र में वर्णित आराजियात में भी सैटलमेन्ट पश्चात राजस्व कर्मचारियों के द्वारा वादी के पिता का

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

... होने के पश्चात जरिए नामान्तरण संख्या 268 फौतेदगी का इन्द्राज किया गया जिसमें इसी वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड में वादी का दस्तावेजी नाम दोलाराम अंकित किया है। वादी की स्वयं की ग्राम रेपड़ावास के वर्तमान खसरा नंबर 38 रकबा 0.8600 हैक्टर एवं इसी प्रकार ग्राम रेपड़वास में खसरा नंबर 90, 248, 629 व ग्राम धांगड़वास के खसरा नंबरा 322 की कृषि भूमियां आई हुई स्थित है। जिसमें वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में दौलाराम पुत्र नारायण दर्ज सुदा है। जिससे यह स्पष्ट है कि वादी का वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम दोलाराम ही है। वादी के पिता नारायण के रेखाराम नाम का अन्य कोई पुत्र या वारिस नहीं है। रेखाराम एवं दोलाराम पुत्र नारायण का एक मात्र व्यक्ति वादी ही है। इसके अलावा अन्य कोई परिवार में व्यक्ति नहीं है, न ही ग्राम रेपड़ावास में रेखाराम पुत्र नारायण नाम का कोई व्यक्ति है। राजस्व कर्मचारियों राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में वादी का नाम दोलाराम के स्थान पर रेखाराम दर्ज करने की जानकारी पूर्व से नहीं थी। वादी अनपढ़, निरक्षर व्यक्ति होने से तथा राजस्व रेकार्ड की जानकारी नहीं होने व वक्त इन्द्राज वादी नाबालिग होने से उक्त त्रुटि के संबंध में जानकारी पूर्व में नहीं हो पाई। अभी वर्तमान में दिनांक 05.06.2020 को वादी उपरोक्त कृषि भमि पर ऋण की आवश्यकता होने से संबधित पटवारी हल्का से सम्पर्क कर राजस्व रेकार्ड की जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपी दिनांक 10.06.2020 को प्राप्त की गई। संबंधित पटवारी हल्का द्वारा वादी को उक्त कृषि भूमि में वादी का नाम रेखाराम पुत्र नारायण दर्ज होने की जानकारी दी। जिस पर वादी द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रेकार्ड की वर्तमान जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि व अन्य राजस्व रेकार्ड शाखा से वादस्थ भूमि के दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करने पर वादी को जानकारी हुई कि वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड में सैटलमेन्ट पूर्व संबंधित कर्मचारी के द्वारा वादी के वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम दोलाराम दर्ज न कर रेखाराम पैन ऑफ मिसटेक, सदभाविक त्रुटि से दर्ज कर दिया गया, जो गलत है। इसलिए वादी वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड में सैटलमेन्ट पूर्व की गई त्रुटि को दुरस्त करवा कर वादस्थ भूमि के राजस्व रेकर्ड में रेखाराम के स्थान पर दोलाराम नाम से खातेदारी घोषणा करवा कर राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त करवाने का कानूनन अधिकारी है। जिससे वाद विरूद्ध प्रतिवादी घोषण एवं रेकार्ड दुरूस्ती का पेश किया है। इस प्रकार अधिवक्ता वादी ने राजस्व वादपत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर सरहद सरहद मौजा ग्राम रेपड़वास पटवार हल्का रेपड़ावास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चाड़वास तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में वर्तमान नए खाता संख्या 138 के खसरा नंबर 549 रकबा 0.8400 हैक्टर व खसरा नंबर 550 रकबा 0.0200 हैक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.8600 हैक्टर के नाम से खातेदार घोषित किये जाने एवं राजस्व रेकर्ड में रेखाराम पुत्र नारायण के स्थान पर दोलाराम पुत्र नारायण के नाम से रेकर्ड में दुरूस्त किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते जबाब दावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से दिनांक 06.01.2021 को जबाब दावा पेश कर अंकित किया कि वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि ग्राम रेपड़ावास में वादी की खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित है। बिन्दु संख्या 02 व 03 को वादी स्वयं सिद्ध

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

जाना व पैरा संख्या 02,03 वादी द्वारा स्वयं सिद्ध किया जाना तथा पैरा संख्या 04 09 कानूनी होना अंकित कया है।

अधिवक्ता वादी मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद व प्रतिवादी द्वारा पस्तुत जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई–

1. आया वादस्थ भूमि ग्राम रेपडावास के खसरा नम्बर 549, 550, कुल खसरा नम्बर 0.86 हैक्टर की भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज रेखाराम पुत्र नारायण के स्थान पर रेकर्ड दुरूस्त की जाकर दौलाराम पुत्र नारायण नाम से खातेदारी घोषणा करवाने का कानुनन अधिकारी है–

(जिम्मे वादी)

अधिवक्ता वादीगण ने शहादत वादीगण के मुख्यपरीक्षण हेतु वादी स्वयं का तस्दीक शुदा शपथ पत्र पेश किए मुख्य परीक्षण पर वादी स्वयं के बयान पीडब्ल्यु–1 कलमबद्ध करवाये गए। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा वादी का आधार कार्ड प्रदर्श–1, जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श –1 ए है। मतदाता पहचान पत्र पदर्श–2 जिसकी छाश प्रति प्रदर्श –2ए है। परिवार राशन कार्ड प्रदर्श–3 एवं इसकी छाया प्रति प्रदर्श – 3 ए है। एसबीआई बैंक की पास बुक प्रदर्श–4, जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श 4ए है। ग्राम धांगडवास में वादी की खातेदारी कृषि भूमि की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श –5 है। ग्राम रेपडावास में वादी स्वयं की स्थित कृषि भूमि की जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि– प्रदर्श –6 व प्रदर्श –7 है जिन्है प्रदर्शितकरवाये गये जिरह प्रति शुन्य रही।

बहस अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि सरहद सरहद सरहद मौजा ग्राम रेपड़वास पटवार हल्का रेपड़वास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चाड़वास तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में वर्तमान नए खाता संख्या 138 के खसरा नंबर 549 रकबा 0.8400 हैक्टर व खसरा नंबर 550 रकबा 0.0200 हैक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.8600 हैक्टर के नाम से खातेदार घोषित किये जाने एवं राजस्व रेकर्ड में रेखाराम पुत्र नारायण के स्थान पर दोलाराम पुत्र नारायण के नाम से रेकर्ड दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। प्रतिवादी तहसीलदार सोजत ने भी वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि हो जाने से कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है।

उक्त वाद प्रकरण में कायम की गई तनकीयात का प्रस्तुत वाद पत्र के परिपेक्ष्य में प्रस्तुत जबाब दावा के आधार पर बाद विवेचन/विश्लेषण कर तनकीवार विनिश्चय निम्नांकित रूप से किया जाता है–

1. आया वादस्थ भूमि ग्राम रेपडावास के खसरा नम्बर 549, 550, कुल खसरा नम्बर 0.86 हैक्टर की भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज रेखाराम पुत्र नारायण के स्थान पर

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

दुरूस्त की जाकर दौलाराम पुत्र नारायण नाम से खातेदारी घोषणा करवाने का अनुनन अधिकारी है–

(जिम्मे वादी)

अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा वादस्थ भूमि की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श – 8, 9, 10 पेश की है। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 से प्रदर्श 4 सरकारी दस्तावेजात में भी वादी का नाम दौलाराम दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम धागंडवास व रेपडावास में स्थित कृषि भूमियों की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 5 लगायत 7 में भी वादी का नाम दौलाराम पुत्र नारायणलाल दर्ज सुदा तथा प्रदर्श – 8 वादस्थ भूमि की जमाबन्दी में भी वादी का दौलाराम दर्ज सुदा है। लिहाजा तनकी संख्या 01 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र, दस्तावेजात साक्ष्य सबूत बतौर प्रस्तुत शपथ पत्रों का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी द्वारा वाद में वर्णित तथ्यों की पुष्टि हेतु प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, परिवार कार्ड, व अन्य राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम दोलाराम पुत्र नारायण दर्ज सुदा है। जिससे वादी के सही एवं वास्तविक नाम दौलाराम पुत्र नारायण होने की सम्पुष्टि होती है। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाना तथा सरहद सरहद मौजा ग्राम रेपड़वास पटवार हल्का रेपड़वास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चाड़वास तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में वर्तमान नए खाता संख्या 138 के खसरा नंबर 549 रकबा 0.8400 हैक्टर व खसरा नंबर 550 रकबा 0.0200 हैक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.8600 हैक्टर भूमि के राजस्व रेकर्ड में रेखाराम पुत्र नारायण के स्थान पर नाम पर दोलाराम पुत्र नारायण के नाम से रेकर्ड दुरूस्त दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। डिक्री डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर सादिर की जाती है कि सरहद मौजा ग्राम रेपड़वास पटवार हल्का रेपड़वास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चाड़वास तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में वर्तमान नए खाता संख्या 138 के खसरा नंबर 549 रकबा 0.8400 हैक्टर व खसरा नंबर 550 रकबा 0. 0200 हैक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.8600 हैक्टर के नाम से खातेदार घोषित किये जाने एवं राजस्व रेकर्ड में रेखाराम पुत्र नारायण के स्थान पर नाम दोलाराम पुत्र नारायण के नाम से दुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

...बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति ...जी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 28/09/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

वादी :–

1. दोलाराम पुत्र नारायणलाल जाति जाट निवासी– रेपड़ावास तह0 सोजत जिला पाली।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

राजस्व वाद संख्या :– 23 / 2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री कैलाश दवे तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा ग्राम रेपड़वास पटवार हल्का रेपड़वास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चाड़वास तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में वर्तमान नए खाता संख्या 138 के खसरा नंबर 549 रकबा 0.8400 हैक्टर व खसरा नंबर 550 रकबा 0.0200 हैक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.8600 हैक्टर के नाम से खातेदार घोषित किये जाने एवं राजस्व रेकर्ड में रेखाराम पुत्र नारायण के स्थान पर नाम दोलाराम पुत्र नारायण के नाम से दुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को इस आदेश की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील / तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 28/09/22 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज॰)

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.